—:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::—

—:: ज्ञापन ::—

क्रमांक 12545 /एक–6–25/11 उज्जैन, दिनांक 3 DEC 2024 दिसम्बर, 2024

प्रति,

....

....

विषय :— शीतकालीन अवकाश बाबत् ।

———000———

उपरोक्त विषय में लेख है कि **दिनांक 25.12.2024 से 31.12.2024 तक** शीतकालीन अवकाश है। अतः जिन न्यायिक अधिकारियों को उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश का लाभ उठाना है, वे अपने आवेदन पत्र योग्य माध्यम से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, उज्जैन की ओर **दिनांक 07.12.2024 तक** अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने आवेदन पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन के माध्यम से प्रेषित करें तथा अवकाश के समय सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट यह भी ध्यान रखें कि तहसील मुख्यालय पर जहां दो न्यायिक मजिस्ट्रेट पदस्थ हैं, वहां एक न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। इसी प्रकार से जिला मुख्यालय पर तीन न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहें, जिससे रिमाण्ड कार्य, आवश्यक कार्य, आवश्यक सिविल प्रकरणों में पक्षकारों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। साथ ही प्रोटोकाल की कार्य व्यवस्था में भी असुविधा उत्पन्न न हो। इसी अनुरूप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जैन आवेदन पत्र अनुशंसित कर प्रेषित करें।

समस्त न्यायाधीशगण यह सुनिश्चित करें कि अवकाश के दिनों में कोई भी प्रकरण नियत न हो, जिससे पक्षकारों को अनावश्यक असुविधा का सामना करना पड़े अन्यथा अवकाश के आवेदन स्वीकृत करने में असमर्थता रहेगी।

मुख्यालय पर पदस्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आपस में चर्चा कर इस प्रकार अवकाश लेवें कि दो जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुख्यालय पर उपस्थित रहें, जिससे आवश्यक सिविल एवं आपराधिक कार्य में अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। समयावधि पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।

3/12/24

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)